

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

बहादुर सिंह पिता गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी इन्दोकिया

बनाम

नन्दभंवर पत्नि किशोर सिंह राजपूत निवासी इन्दोकिया बगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 366/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
17.05.2023	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम इन्दोकिया पटवार हल्का फलासिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 526/1, 526/4, 526/6 कुल किता 03 रकबा 2.3229 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है। अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम इन्दोकिया पटवार हल्का फलासिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 526/1, 526/4, 526/6 कुल किता 03 रकबा 2.3229 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बादरी के कणिसर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 2000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक/रीडर/2023/366/2023

दिनांक :- 17.05.2023


निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 366/23 अनवान बहादुर सिंह पिता गुमान सिंह राजपूत निवासी इन्दोकिया बनाम नन्दभंवर पत्नि किशोर सिंह राजपूत, मगना पिता रूपा धाकड, शंभु सिंह पिता चतर सिंह राजपूत, सम्पत सिंह पिता मदन सिंह राजपूत, लक्ष्मण सिंह पिता भूर सिंह राजपूत, रणजीत सिंह पिता चतर सिंह राजपूत, रामसिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत, प्रताप सिंह पिता सुजान सिंह राजपूत निवासीयान इन्दोकिया तहसील जहाजपुर जिला- भीलवाडा राजस्थान

पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम इन्दोकिया पटवार हल्का फलासिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 526/1, 526/4, 526/6 कुल किता 03 रकबा 2.3229 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)